ई.डी.का ई.ओ.और उसका सहयोगी 15 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

एसीबी की टीम ने नीमराणा और जयपुर में की कार्रवाई

- आरोपी इम्फाल, मणिपुर में ईडी कार्यालय में परिवादी के खिलाफ दर्ज चिटफण्ड प्रकरण को निपटाने, प्रोप्टी अटैच नहीं करने व गिरफ्तारी से बचाने के एवज में 17 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे।
- एसीबी की टीमें आरोपियों के आवास व जयपुर, बहरोड़ व नीमराना स्थित अन्य ठिकानों पर सर्च कर रही है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सब जोन कार्यालय प्रवर्तन निदेशालय इम्फाल, मणिपुर के प्रवर्तन अधिकारी नवल किशोर मीणा (सफेद टी-शर्ट) एवं उसके सहयोगी कनिष्ठ सहायक बाबूलाल मीणा (चैक की शर्ट) को बुधवार को नीमराणा में गिरफ्तार किया है।

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सब जोन कार्यालय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इम्फाल, मणिपुर के प्रवर्तन अधिकारी (ईओ) नवल किशोर मीणा एवं उसके सहयोगी कनिष्ठ सहायक बाबूलाल मीणा को बुधवार को नीमराणा में पंद्रह लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीमें आरोपियों के आवास और अन्य ठिकानों पर सर्च कर रही है। इधर ईडी ने आरोपी ईओ और उसके सहायक को निलंबित कर पी.एम.एल.ए. एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि परिवादी ने एसीबी के जयपुर मुख्यालय पर शिकायत की थी। उसने अपनी शिकायत में बताया कि इम्फाल, मणिपुर में ईडी के कार्यालय में दर्ज चिटफण्ड प्रकरण में उसके विरुद्ध मामले को निपटाने, प्रोपटी अटैच नहीं करने एवं गिरफ्तार नहीं करने की एवज में ईओ नवल किशोर मीणा सत्रह लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा हैं।

इस पर एसीबी के पुलिस उपमहानिरीक्षक डॉ रवि के सुपरवीजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया गया। इस दौरान शिकायत सही पाए जाने पर ट्रेप की कार्रवाई की गई। एसीबी की टीम ने आरोपी नवल किशोरी मीणा उर्फ एन के मीणा निवासी विमलपुरा गांव तुंगा, बस्सी जयपुर हाल प्रवर्तन अधिकारी सब जोन कार्यालय ईडी इम्फाल, मणिपुर को उसके सहयोगी मुण्डावर उप पंजीयन कार्या में कनिष्ठ सहायक बाबू लाल मीणा उर्फ दिनेश निवासी विमलपुरा के माध्यम से नीमराणा में परिवारी से 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किर लिया। एसीबी के उप महानिरीक्षक डॉ. रवि के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल एसीबी की टीमें आरोपियों के आवास और बहरोड़ व नीमराना स्थित अन्य ठिकानों पर सर्च कर रही है। हालांकि एसीबी ने शिकायत के सत्यापन के बाद ट्रेप की कोशिश की थी लेकिन आरोपी को इस बारे में भनक लग गई थी जिसके कारण यह कार्रवाई सफल नहीं हो सकी।

दस साल से फरार बदमाश गिरफ्तार

जयपुर। गणपति प्लाजा के किराया का ऑफिस लेकर प्राची गैस बोटलिंग प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से सैकड़ो लोगों को फ्रेंचाईजी दिलवाना का झांसा देकर ठगी कर फरार होने वाली शातिर युवती को जालूपुरा पुलिस ने स्थाई वांरट जारी होने के दस बाद गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस उपायुक्त राशि डोगरा डूडी ने बताया कि आयुक्तालय ने वांछित अपराधियों की तलाश में विशेष अभियान चलाया है जिसमें विशेष टीम का गठन कर दस साल से फरार चल रहीं पूजा माथुर को स्थाई वारंट में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि न्यायालय से जमानत का लाभ मिलने के बाद से पूजा माथुर फरार चल रही थी। जिस पर टीम ने उसके मोबाइल नम्बर प्राप्त कर तकनीकी सहायता से संभावित स्थानों की रैकी की गर्ल्स हॉस्टल से उसे गिरफ्तार कर लिया।

वहीं एसएमएस थाना पुलिस ने सात साल से फरार चले रहे स्थाई वारंटी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार वारंटी के खिलाफ विभिन्न्यायालयो से दो अन्य स्थाई वारंट ओर भी जारी है। बताया जा रहा है कि टीम ने सात साल से फरार चल रहे प्रहलाद (35) पुत्र सीताराम गांव टोपा ,हरभगतपुरा ,महेन्द्रवास निवासी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है।

अमेरिकी राजनीतिज्ञों ने जयपुर फुट की निर्माण विधि का निरीक्षण किया

अमेरिका से आए युवा राजनीतिज्ञों के एक दल ने गुरुवार को विश्व प्रसिद्ध जयपुर फुट की निर्माण विधि का निरीक्षण किया।

जयपुर, (का.सं.)। अमेरिका से आए युवा राजनीतिज्ञों के एक दल ने विश्व प्रसिद्ध जयपुर फुट की निर्माण विधि का निरीक्षण किया। जयपुर फुट की निर्माता संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बी. एम. वी. एस. एस.) के अमेरिकी राजनीतिज्ञों के निरीक्षण का यह कार्यक्रम फेडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (फिक्की) के सौजन्य से हुआ। दल का स्वागत बी. एम. वी. एस. एस. के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डी.आर. मेहता, सचिव भूपेन्द्र राज मेहता एवं डॉ. दीपेन्द्र मेहता ने किया। डॉ. पी.के. जैन ने निर्माण विधि की जानकारी दी। अमेरिकन काउन्सिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स (ए. सी. वाई. पी. एल.) अमेरिका के युवा राजनीतिज्ञों को विदेशों में भेजकर विभिन्न राष्ट्रों की औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कराती है। ए.सी.वाई.पी.एल. के ऐसे कार्यक्रमों के जरिए युवा राजनीतिज्ञों को अपनी नेतृत्व क्षमता बढ़ाने और नीति निर्धारण करने में सहायता मिलती है। इस दल में डैमाक्रेट मेरिडिथ बीसन, जॉन फ्रैडरिकसन, इयान हाल्जहेवर तथा रिपबलिकन क्रिष्टेन हॉयत, जाकारी कोलम्बो कर रही थी।

पर्स चुराने वाली महिला गिरफ्तार

जयपुर। आदर्श नगर थाना पुलिस ने कार से पर्स चुराने वाली एक महिला चोर को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी कमल नयन ने बताया कि गिरफ्तार महिला अनुपमा शर्मा (45) जवाहर नगर की रहने वाली है। आरोपी महिला ने राजापार्क खरीदारी के लिए आई पति-पत्नी के दुकान में जाते ही उनकी कार में रखा पर्स चोरी कर लिया था।

भंवर जितेंद्र की राहुल गांधी से दोस्ती पार्टी को ले डूबेगी : डॉ. करण सिंह यादव

जयपुर, (का.प्र.)। अलवर के पूर्व सांसद डॉ करण सिंह यादव ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि भंवर जितेंद्र सिंह की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से नजदीकियां कांग्रेस को ले डूबेगी। उन्होंने कहा कि इसी नजदीकी के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी भंवर जितेंद्र सिंह को साथ रखते हैं और सचिन पायलट भी कुछ नहीं बोलते हैं।

डॉ करण सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पूर्व केंद्रीय मंत्री और आईसीसी के महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह के कब्जे में है। जैसा वह चाहते हैं वैसा हो रहा है। इसी कारण टिकट वितरण के बाद लोगों में भारी रोष हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं 2 लाख वोटो से उस समय लोकसभा चुनाव जीता था, जब भाजपा का शासन था और मुझे कहा जाता है कि भंवर जितेंद्र सिंह से बात करिए, मैं क्यों करूं? वो जो साढे तीन लाख वोटो से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। वहीं प्रभारी रहते हुए असम में कांग्रेस को डुबो चुके हैं।

डॉ करण सिंह ने कहा कि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरी लाल मीणा का टिकट करने पर उन्होंने प्रदर्शन किया। वह योग्य उम्मीदवार है फिर भी उसका टिकट काट दिया। विशेष तौर पर बहरोड में वर्तमान में जिसे टिकट दिया है। वह कांग्रेस का एक अच्छा कार्य करता है लेकिन वह अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगा। इस तरह का निर्णय जब पार्टी लेती है तो सोचना पड़ता है। इस पार्टी में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मैं पार्टी लीडरशिप से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि वह टिकटों पर पुनर्विचार करें। आप इसका विवक सर्वे कर लीजिए दुनिया में होता है आप भी बहरोड में कर लीजिए। मैं यह नहीं कहता की बस्ती राम यादव जीत जाएगा। सभी सर्वे में बस्तीराम का नाम सबसे ऊपर था फिर मनगढ़ंत सर्वे कर जितेंद्र सिंह निर्णय ले तो हम पार्टी में उनका विरोध करेंगे। पार्टी छोड़नी पड़ी तो छोड़ेंगे।

अलवर को लेकर उन्होंने कहा कि किशनगढ़बास से दीपचंद खेरिया जीत नहीं सकते। मुख्यमंत्री के कमिटमेंट पर उन्हें टिकट मिला है। डॉ करण सिंह ने कहा की अलवर शहर में जितेंद्र सिंह को खुद चुनाव लड़ना चाहिए, वे भाग क्यों रहे हैं। भाजपा छोड़कर आए एक कैंडिडेट को टिकट दिया जा रहा है। कांग्रेस सरकार ने अच्छे कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री की अच्छी योजनाओं के कारण सरकार रिपीट हो रही है। ऐसे में टिकटों के कारण सारे जिले में घालमेल ठीक नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की है।

डॉ.करण सिंह यादव

- 'इस तरह के फैसले से अलवर में कांग्रेस हारेगी, बहरोड में जमानत बचाना मुश्किल'

बाबूलाल नागर और अर्चना शर्मा ने भरा नामांकन

जयपुर, (का.प्र.)। दूदू से कांग्रेस के प्रत्याशी बाबूलाल नागर और जयपुर शहर की मालवीय नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना शर्मा ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद अर्चना शर्मा ने जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और उनके सामने इस बार भाजपा के उम्मीदवार का रिटायरमेंट तय है।

गरीबों को राशन मुहैया नहीं करवा पाई राज्य सरकार : डॉ.प्रभुलाल

जयपुर। भाजपा के पूर्व कृषि मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ.प्रभुलाल सैनी ने कहा कि राजस्थान में कोरोना काल के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए गरीबों को पांच साल तक धक्के खाने पड़े हैं। राज्य सरकार ने इन गरीबों की मजबूरी का मजाक उड़ाते हुई इनसे कई बार आवेदन भी लिए लेकिन उन्हें योजना में शामिल नहीं किया गया। राज्य में सरकार की अनदेखी और अफसरशाही से हालात इतने विकट रहे कि प्रदेश में अधिकारी और कर्मचारी तो गरीबों के राशन पर हक मारते रहे लेकिन वास्तविक जरूरतमंद व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से कृषक वर्ग के साथ किए गए उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण किसानों को 5 साल तक खाद बीज के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ा है। इतना ही नहीं, किसानों को कई स्थानों पर मिलावटी खाद और बीज थमा दिए गए जिसके कारण उनकी फसलें भी तबाह हो गई।

भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की

- स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री मोदी, नड्डा, शाह सहित कई केन्द्रीय नेता व प्रदेश के नेताओं को किया शामिल

जयपुर। भाजपा ने विधानसभा चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची को भाजपा केन्द्रीय नेतृत्व की ओर से चुनाव आयोग में भेज दिया है।

प्रदेश के स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उत्तरप्रदेश के मंख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम मुख्यमंत्री हेमन्त बिस्वा शर्मा, केन्द्रीय मंत्री पीयूश गोयल, धमेन्द्र प्रधान, स्मृति ईरानी, गजेन्द्र सिंह शेखावत, भूपेन्द्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, पुरुषोत्तम रुपाला, अर्जुन मुन्डा, कैलाश चौधरी, संजीव कुमार बाल्यान, कृश्णपाल गुर्जर, प्रदेश चुनाव प्रभारी व केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, ओमप्रकाश माथुर, केशव प्रसाद मोर्य, नितिन पटेल, कुलदीप विश्नोई, संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर, राष्ट्रीय सचिव अल्का गर्जुर, डॉ किरोड़ी लाल मीणा, मनोज तिवाडी, घनश्याम तिवाड़ी, राजेन्द्र गहलोत, अरुण चतुर्वेदी, कनकमल कटारा, पीपी चौधरी, रंजीता कोली को स्टार प्रचारक बनाया है।

तीये की बैठक

हमारी पूजनीय माताजी **श्रीमती मीरा देवी** धर्मपत्नी स्व.श्री लक्ष्मीनारायण जी जाकड़ का स्वर्गवास दिनांक 02.11.2023 को हो गया है, जिनकी तीये की बैठक दिनांक 03.11.2023 को सायं 3.00 से 4.00 बजे तक हमारे निवास 1263, निवाई महन्त का रास्ता रामगंज बाजार, जयपुर पर होगी।
शोकाकुल- सत्यनारायण, नवलकिशोर (चाचा ससुर), राजेन्द्र (देवर), दीपक, अमित (पुत्र), आकाश (भतीजा), राजकुमार, अर्जुन, आकाश एवं समस्त जाकड परिवार। मो. 988750957, 9928959134, 29064006

अत्यन्त दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारा भतीजा **घनश्याम मीणा** पुत्र स्व. श्री कानाराम मीणा का स्वर्गवास दिनांक 01.11.2023 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 03.11.2023 को निज निवास स्थान जूणवालों की ढाणी, मानसागर कॉलोनी, बुद्धसिंहपुरा जयपुर पर 1 से 3 बजे तक होगी।
शोकाकुल- हर्षनारायण, शंकरलाल (चाचा), रामनारायण, घनश्याम, गिर्राज, गोपाल, मुरली, कैलाश (भ्राता), सागर, अजय (पुत्र) एवं समस्त जूणवाल परिवार 9314506039, 8949361443

मेरी धर्मपत्नी **श्रीमती पुष्पा भागचंदानी** का स्वर्गवास दिनांक 31.10.2023 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 03.11.2023 को सायं 4:30 बजे कृष्णा मन्दिर, बीस दुकान, आदर्श नगर, जयपुर में रखी गई है।
शोकाकुल- नानक कुमार भागचंदानी (भाग) (पति), पीताम्बर कुमार- मीना, डॉ. नरेंद्र भाग- डॉ. भामिनी (भाई-भाभी), राजेश- नेहा, मनीष- पूनम (पुत्र- पुत्रवधू), कपिल (पुत्र), गिरीश- पूनम, आशीष- काम्या (भतीजे-भतीजेवधू), गरिमा- चिराग (भतीजी-दामाद), जतिन, करन (पौत्र), महिमा (पौत्री) एवं समस्त भाग परिवार। प्रतिष्ठानः- हेल्थ एड क्लिनिक एण्ड हॉस्पिटल, वी केयर मेडिकल, गृह लक्ष्मी, महिमा ट्रेडर्स, मेडिसिन कॉर्नर मो.- 9636604900, 9649924639

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

अपहरण और डकैती के पांच आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। शिवदासपुरा थाना इलाके में दो युवकों के अपहरण व डकैती डालने के आरोप में पांच बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अपहरण के काम में ली गई स्विफ्ट कार बरामद की है। पुलिस पांचों बदमाशों से ऐसी कई वारदातें खुलने की संभावना जता रहीं है। पुलिस उपायुक्त दक्षिण योगेश गोयल ने बताया कि 29 अक्टूबर को धर्मराज वैष्णव सावर, केकड़ी निवासी ने मामला दर्ज कराया था कि वो अपने दोस्त पवन कुमार जॉगिड के साथ मोटरसाइकिल से घूमते हुए महल रोड पहुंचा था। महल रोड पर बाइक रोककर लघुशंका कर रहे थे, तभी एक स्विफ्ट कार उनके पास आकर रूकी। जिसमें से पांच युवक उतरे और मारपीट करते हुए उन्हे कार में जबरन बैठा लिया और मोबाइल फोन छीन लिया। आरोपियों ने मारपीट करते हुए धर्मराज वैष्णव के फोन-पे से 34500 रुपए ऑन लाइन ट्रांसफर करवा लिए। जिसके बाद बदमाश दोनो पीड़ितों को रिंग रोड के पास सुनसान जगह ले जाकर उनका विड़िया बनाया और कहा कि बोला हम यहां पर अवैध पिस्टल खरीदने आए थे। वीडियो बनाने के बाद आरोपियों ने धमकी दी। अगर थाने गए तो उल्टे फंस जाओगे और मोबाइल लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद तकनीकी सहायता व मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों की तलाश करते हुए पांचों बदमाशों को बापर्दा गिरफ्तार कर लिया।

चूड़ी कारखाने से बाल श्रमिक छुड़ाए

जयपुर। भट्टाबस्ती इलाके में पुलिस ने चूड़ी कारखाने से बालश्रमिकों को मुक्त करवा कर संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया गिरफ्तार आरोपित राजीव कुमार (19) गांव अमादाबाद जिला नालंदा बिहार का रहने वाला है, जिसने इलाके स्थित जेपी कॉलोनी के एक मकान में चूड़ी कारखाना संचालित कर रखा था। वह यहां बच्चों से जबरन काम करवाता है। पुलिस ने बालश्रमिकों को मुक्त करवा कर मौके से कच्चा माल भी जब्त किया है।

भजनलाल आज भरेंगे नामांकन

जयपुर। सांगानेर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी भजनलाल शर्मा शुक्रवार को हजारों कार्यकर्ता और आमजन के साथ नामांकन भरने पहुंचेंगे। सांगानेर विधानसभा में भाजपा के दृष्टिकोण से 5 मंडल और 39 वार्ड आते हैं जिसमें नामांकन भरने के लिए विधानसभा में सभी मंडल, वार्डो सहित भाजपा के सभी मोर्चे, प्रकोष्ठ, जिला और प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ पदाधिकारी की मौजूदगी में विधायक प्रत्याशी भजनलाल शर्मा चुनाव कार्यालय मानसरोवर से विभिन्न मंदिरों में दर्शन कर धोक लगाते हुए और रास्ते में विभिन्न समाजों द्वारा भजनलाल शर्मा का स्वागत अभिनंदन भी किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे से जनसंपर्क करते हुए हजारों कार्यकर्ताओं के साथ भजनलाल शर्मा एसडीएम कार्यालय पहुंचेंगे। शर्मा ने कहा सांगानेर में ही नहीं वरन संपूर्ण राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने तुष्टिकरण की पराकाष्ठा की हद पार की है ये हिंदू विरोधी कांग्रेस सरकार को इस बार संपूर्ण राजस्थान से हमेशा हमेशा के लिए विदा करना है।

'विधायक कागजी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करें'

जयपुर, (का.सं.)। अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-6 महानगर द्वितीय ने मारपीट के मामले में दबाव डालकर राजीनामा कराने की कोशिश करने के मामले में विधायक अमीन कागजी और मारपीट करने वाले आधा दर्जन अन्य लोगों के खिलाफ रामगंज थाना पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश मोहम्मद शमीम खान के परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए।

परिवाद में अधिवक्ता रियाज अहमद ने अदालत को बताया कि परिवादी कांग्रेस का मंडल अध्यक्ष है। ऐसे में उसने स्थानीय समस्याओं की शिकायत करने के लिए अमीन कागजी को सोशल मीडिया पर मैसेज भेजा था। इस पर गत 12 अक्टूबर को वार्ड 65 के पार्षद जकरिया कुछ गुंडों को परिवादी के घर लेकर आया और उससे मारपीट की। जब परिवादी का भतीजा बीच-बचाव करने आया तो उससे भी मारपीट की गई।

आरोपियों ने स्थानीय समस्याओं की जानकारी विधायक कागजी को देने से नाराज होकर उससे मारपीट की है। वहीं पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई और उसके डेढ़ लाख रुपए के नगीने भी ले गए। वहीं कुछ देर बार विधायक अमीन कागजी परिवादी को अभियुक्त के पास ले गया। जहां कागजी ने अभियुक्तों से माफी मंगवाई और विधायक का रौब दिखाकर राजीनामा कराने की कोशिश की।

इस दौरान पार्षद व अन्य ने परिवादी को पुनः धमकी दी। परिवाद में कहा गया कि आरोपियों की मारपीट के चलते परिवादी का कान का पर्दा फट गया है और उसे ऑपरेशन कराने की जरुरत पड गई है। परिवादी ने घटना की जानकारी पुलिस अधिकारियों को भी दी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। ऐसे में मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने विधायक सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

आम सूचना सूचित किया जाता है मेरे स्वामित्व का प्लाट नं. 78, धर्म पार्क, श्याम नगर-।। अजमेर रोड, जयपुर राज.-302019 में स्थित हैं, जिसके मूल पट्टे पर मेरा बोलता नाम राव जसवन्त सिंह अंकित है। मैंने मेरा नाम बदलकर पंकज यादव पुत्र राजेन्द्र कुमार भारतीया कर लिया है इस कारण उक्त प्लाट के दस्तावेजों में अपना नाम करवाना चाहता हूँ, यदि किसी व्यक्ति, संस्था आदि को आपत्ति है तो प्रकाशन तिथी से 10 दिवस तक की अवधि में सम्पर्क करें। जयपुर विकास प्राधिकरण जोन-5, जेएलएन मार्ग, जयपुर राज. मो. 94144-34824

NAME CHANGE I Dharmendra Kumar Gurjar S/o, Harshay Gurjar R/o Village Moondiya Tehsil Todhabhim Dist- Karauli, Mundia, Rajasthan- 322254 hereby declare that my Correct name/ Date of birth is 30 Sept. 2003 whereas the name /date of birth recorded in service records of my father is Dharmender Kumar which is incorrect. My correct name is Dharmendra Kumar Gurjar be used for all future purposes and same be changed in service records of my father. This change affirced vide affidavit dated 18/09/2023 before Notary Public, Hindaun city.

नाम परिवर्तन

मैं मंजुषा दानी पत्नी श्री राम दानी निवासी 21, शिवराज निकेतन, वैशाली नगर जयपुर। मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम मंजुषा अग्रवाल अंकित है, जिसे मैं मंजुषा दानी करवाना चाहती हूॅ। भविष्य में मुझे मंजुषा दानी नाम से जाना पहचाना जाए।

I have changed my name from Manoj Kumar Garg to Manoj Garg for all purpose. R/o A-162 Monika vihar second mangyawas Road Mansarovar Jaipur Raj.

I have changed my name from Rajkumar Agrawal to Raj Agrawal R/O 71/174 Sector 7 Madhyam Marg Agrawal Farm, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302020

I have changed my name from Arjandas Pesoomal to Arjandas Wadhwani for all purpose.R/o 63 Sindhi Colony Banipark Jaipur Raj.

I have changed my name from Amayvikrama Jodha to Amaya Vikrama Jodha therefore I will be known or distinguished in public by new name of Amaya Vikrama Jodha, H. No. 48 Janak Vihar Panchayawala Sirsi Road Jaipur City-302034, Rajasthan.

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक मकान नम्बर 90/118, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान में स्थित है, जो कि श्री दिब्येन्दू चौधरी के स्वामित्व व अधिकार का था तथा श्री दिब्येन्दू चौधरी एवं श्रीमती लीला चौधरी धर्मपत्नि श्री दिब्येन्दू चौधरी का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात मेरे अभिभाष्य मीता मुखर्जी एवं काजल चक्रवर्ती पुत्रियां स्वर्गीय श्री दिब्येन्दू चौधरी उत्तराधिकारी, वारिस होने के कारण उक्त मकान नम्बर 90/118 मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान के स्वामी, अधिकारी व काबिज हैं। यह कि मीता मुखर्जी एवं काजल चक्रवर्ती उक्त मकान नम्बर 90/118, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान विक्रय करने का इकरार किया है, यदि उक्त मकान के विक्रय/हस्तान्तरण इत्यादि के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों, संस्था, कम्पनी इत्यादि को किसी भी प्रकार की आपत्ति, आक्षेप इत्यादि हो तो प्रकाशन तिथि से 7 दिन (सात दिन) की अवधि में मुझे सूचित करें, अन्यथा बाद मियाद आपत्ति अमान्य मानी जावेगी तथा उक्त मकान के विक्रय पत्र का विधिवत पंजीयन भावी क्रेता के हित में करा दिया जायेगा।
दिनांक-02.11.2023 शशांक टिक्कीवाल, एडवोकेट
स्थान-जयपुर मो. 9166400777

राजस्थान आवासन मंडल वृत्त-तृतीय
जे.एल.एन मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर 0141-4901853
क्रमांक: 10636 **आम जाहिर सूचना** दिनांक 2.11.2023
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा दुकान संख्या - 2, सेक्टर 09 मालवीय नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 21.60 वर्ग मीटर का नियमितिकरण एवं अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 1205 दिनांक 10/02/2021 रमा जैन पुत्री श्री नेमी चन्द के पक्ष में जारी किया गया था। उनके द्वारा उक्त दुकान के पंजीयन प्रपत्रो का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, सांगानेर, द्वितीय में दिनांक 10/03/2021 को करवाया गया। रमा जैन पुत्री श्री नेमी चन्द जैन की मृत्यु दिनांक 23/08/2023 को हो जाने के कारण श्री अनमोल यादव पुत्र श्री जोगेश्वर यादव के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति, वसीयतनामा की छाया प्रति प्रस्तुत कर उक्त दुकान का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अत: उक्त दुकान के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति / बैंक / संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री अनमोल यादव पुत्र श्री जोगेश्वर यादव के पक्ष में उक्त दुकान के प्रतिस्थापन की कार्यवाही करदी जावेंगी।
संपदा प्रबंधक,वृत्त तृतीय, राज. आ. मण्डल, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 267/2023
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री सचिन गोलछा निवासी 3978, मोती सिंह भौमियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत अभय कगेसरी, 3978, मोती सिंह भौमियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर राजस्थान प्रन्यास के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 23.10.2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 02.01.2024
मोहर अदालत
आकाश रंजन (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक मकान नं. 158, गली नं.3, ऋषि गालव नगर, गलता गेट, जयपुर में स्थित है, जिस पर मेरे पति स्व श्री गोविन्द सिंह शेखावत ने एचडीएफसी बैंक से ऋण लिया हुआ था उक्त मकान के समस्त असल दस्तावेज एचडीएफसी बैंक में रहन (Mortgage) कर रखें हैं। यह कि मेरे पति स्व श्री गोविन्द सिंह शेखावत का दिनांक 17.08.2023 को स्वर्गवास हो चुका है तथा उक्त मकान के पेटे लिये हुये ऋण की पूर्ण अदायगी एचडीएफसी बैंक को की जा चुकी है, इसलिये अब मैं उक्त फ्लैट के असल दस्तावेजों को प्राप्त करना चाहती हुं यदि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म इत्यादि को किसी भी प्रकार की कोई आपति है तो मय दस्तावेज प्रकाशन तिथी से सात दिवस तक की अवधि में एचडीएफसी बैंक, सी-25, भगवान दास रोड, सैंट जेवियर्स स्कूल के सामने, सी-स्कीम, जयपुर फोन: 0141-6480799 में सम्पर्क करें। सूचित करें

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/2181 दिनांक-02.11.2023
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 10/07 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 90.00 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री विष्णु प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री कान्ता प्रसाद गुप्ता को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 87 दिनांक 03.02.1988 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 02.03.1988 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 5661 दिनांक 29.11.2001 के द्वारा श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व. श्री मातादीन बंसल के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 30.12.2002 को करवाया गया। तत्पश्चात श्रीमती गीता देवी की मृत्यु हो जाने एवं वसीयतनामा के आधार पर उनके पुत्र श्री संजय कुमार बंसल पुत्र स्व. श्री मातादीन बंसल के द्वारा उक्त आवास का उपहार पत्र श्री सतीश कुमार बंसल पुत्र स्व. श्री मातादीन बंसल को कर दिया गया। इनके द्वारा उक्त आवास के उपहार प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पांजीयक, जयपुर में दिनांक 11.08.2011 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री सतीश कुमार बंसल की मृत्यु दिनांक 01.08.2023 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री बनेश बंसल पुत्र स्व. श्री सतीश कुमार बंसल ने मृत्यु पश्चात नाम एवं लीजडीड हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री बनेश बंसल पुत्र स्व. श्री सतीश कुमार बंसल के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई-निविदा सूचना
ई निविदा सूचना सं. एसएण्डटी-जेयू-12-2023-24 भारत के राष्ट्रपति की ओर से औरे उनके लिए मंडल रेल प्रबन्धक/सं.व.दू.उ.प.रे., जोधुपुर द्वारा निम्नलिखित सिगनलिंग एवं टेलीकॉम सम्बन्धी कार्य हेतु मुहरबंद ई निविदाएं आमंत्रित की जाती है। **1. कार्य का नाम:** उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर स्थापित मौजूदा डेटालॉगर सिस्टम के साथ इंटरफेसिंग के माध्यम से सेफ्टी पॉइंट रिवर्सल अलार्म यूनिट का प्रावधान। **2. कार्य की अनुमानित लागत:** रुपये 7515079/- **3. ई निविदा जमाकर्ता कार्यालय का पूर्ण पता:** वरि.मंडल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी. मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय हरीश जौशी मार्ग जोधपुर **4. बयाना राशि (Bid Security):** रुपये 150300/- **5. ई निविदा प्रपत्र जमा कराने एवं खुलने की तारीख व समय:** 23.11.2023 को 11.00 बजे तक। तथा ई टेंडर ऑन लाईन आई आर ई पी एस 11.00 बजे बन्द होने के तुरन्त बाद खोली जायेगी। **6. वैबसाईट विवरण एवं नोटिस बोर्ड व कार्यालय जहॉ से टेण्डर का विवरण देखा जा सकें। एवं खरीद की जा सकें : www.ireps.gov.in नोट:-** यह एक ई टेण्डर हैं इसलिए इसमें भाग लेने के लिए ठेकेदार ई टेण्डरिंग के द्वारा उल्लेखित वैबसाईट पर टेण्डर डाले।
1150-AC/23
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करे

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, अजमेर संभाग, अजमेर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
कार्यालय- राजस्थान लोक सेवा आयोग के सामने, कांकरदा भूणाभाय, जयपुर रोड, अजमेर
मुकदमा नम्बर 89/टोंक/2023
चूंकि श्री हरीराम सैनी अध्यक्ष ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत श्री जी सेवा संस्थान ग्राम व पोस्ट लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक के पंजीयन हेतु प्रन्यास के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 30.10.2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आगामी तारीख पेशी 09.01.2024
मोहर अदालत
आकाश रंजन (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, अजमेर

पंजाब एण्ड सिंध बैंक | Punjab & Sind Bank
अंचल कार्यालय: जयपुर 30-31, मोहन टॉवर, प्रिंस रोड विद्युत नगर, अजमेर रोड, जयपुर -302021
फोन नंबर: 0141-2358350,2358628

राजस्थान में बैंक की शाखा खोलने के लिए निम्लिखित स्थान पर भूतन स्थित परिसर के लिए दो बोली प्रणाली के तहत न्यूनतम 15 साल के लिए लीज आधार पर 1700- 2000 वर्ग फुट एरिया वाले परिसर के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है:-

कम सं.	जगह जहाँ शाखा खोलनी है	कारपेट एरिया (वर्ग फीट में)
1.	वैशाली नगर, जयपुर (वैशाली सर्कल के समीप)	1700-2000
2.	कोटा (एरोड्रम सर्कल के समीप)	1700-2000

करवाने की अंतिम तिथि 22.11.2023 होगी
अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.punjabandsindbank.co.in
आँचलिक कार्यालय जयपुर